

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ०१ /2020

दिनांक ०३.०१.२०२०

श्री मान सिंह चूण्डावत (RJ1013), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टॉक को दिनांक 02.01.2020 से 04.01.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.12.2019 से 01.01.2020 एवं 05.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चूण्डावत की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टॉक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल कर रहे हैं ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टॉक के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/01/2016/ 28

दिनांक : ०३.०१.२०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टॉक को उनके पत्रांक 706 दिनांक 06.12.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मान सिंह चूण्डावत (RJ1013), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टॉक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टॉक ।


सहायक रजिस्ट्रार